

# निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.24( )लेखा-ए/अनु/बजट/निकाशि/2011-12/125।

दिनांक:-२२-१२-११

## आदेश

निम्नलिखित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 7 एवं नियम 1993 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में निम्न शर्तों के अधीन उनके नाम के आगे कॉलेज 5 में अंकित आवर्ती अनुदान राशि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत विभाग में उपस्थिति दिनांक तक की अवधि (माह जुलाई एवं अगस्त 2011) एवं (RVRES) 2010 के तहत आवेदन नहीं करने वाले अथवा उपस्थिति नहीं होने वाले कार्मिकों के साह जुलाई 2011 तक के वेतन भत्तों का भुगतान करने हेतु Provisional रूप से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस स्वीकृति में माह अप्रैल से जून 2011 की अवधि के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर कम या अधिक स्वीकृत राशि को समायोजित किया गया है। यह स्वीकृति दिनांक 31.3.2012 तक प्रभावी रहेगी :—

1. यह अनुदान सहायता अनुमानित आधार पर होने से उसका समायोजन वर्ष 2011-12 के वास्तविक अनुमोदित व्यय के अन्तिमीकरण जो कि नियमानुसार होगा, के अधीन किया जावेगा।
2. इस सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या प.24(137)लेखा/अनु/आकाशि/04/222-91 दिनांक 08.04.2004 की पालना में प्रथम अनुदान बिल के साथ समस्त वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे एवं इन आदेशों में अंकित शर्तों की अक्षरशः पालना की जावे।
3. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.8(3)वि.मा./97 दिनांक 15.6.2002 की अनुपालना में समरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पी.एफ.राशि का अंशदान सम्बन्धित कोष कार्यालय में पूर्व की भाँति पी.डी.खाते में जमा कराई जावे।
4. इस अनुदान सहायता का उपयोग नियमों में उल्लेखित मान्य व्यय—प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।
5. इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि में से अनुपयोगी राशि यदि कोई रहेगी तो दिनांक 31.3.2012 तक राजकोष में वापस जमा करानी होगी।
6. संस्थाओं के हिसाब के लेखे—जोखे भारतीय लेखा परीक्षा विभाग एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ—साथ विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षणार्थ हेतु खुले रहेंगे।
7. संस्थाओं के वार्षिक हिसाब विवरण (स्टेटमेन्ट) चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित कराया जाकर ही प्रस्तुत किया जावेगा।
8. सहायता प्राप्त अनुदान राशि में से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और न ही उसे गिरवी रखा जा सकेगा तथा उसका उपयोग उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।
9. प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विभाग को तुरन्त प्रेषित की जावेगी।
10. अनुदान सहायता राशि प्राप्ति के लिए अधिकृत व्यक्ति के परिवर्तन की सूचना कारण सहित तुरन्त प्रेषित की जावेगी।
11. सहायता राशि के मासिक बिल के साथ गत माह के वेतन का विवरण, बैंक के माध्यम से भुगतान के प्रमाण पत्र एवं सी.पी.एफ. में जमा चालान की प्रति (एक प्रति में) भिजवाया जाना अनिवार्य होगा।
12. पिछले माहों के वेतन का बकाया विवरण यथा बैंक के माध्यम से भुगतान का प्रमाण पत्र एवं सी.पी.एफ. में जमा चालान की एक प्रति यदि बकाया हो तो वित्तीय वर्ष के प्रथम बिल के साथ संलग्न कर भिजवायें अन्यथा बिल पारित नहीं किये जावेंगे।
13. वर्ष के दौरान अनुदान स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक के सेवानिवृत्त होने/सेवा त्याग/मृत्यु होने पर शीघ्र सम्पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
14. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 12 (1) के तहत पूर्व के अनुदान को अन्तिम रूप देने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र मय आवश्यक प्रपत्रों के साथ 31 अगस्त, 2011 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करने का प्रावधान है जिसके अनुसार यदि



